

[TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii) OF THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, DATED THE 15th DECEMBER, 1999]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

New Delhi, the 15th December, 1999

Notification
INCOME-TAX

S.O. (E).- In exercise of powers conferred by section 295, read with clause (iii) of sub-section (2) of section 72A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (33rd Amendment) Rules, 1999.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Income-tax Rules, 1962, after rule 9B, the following shall be inserted, namely:-

‘ Conditions for carrying forward or set-off of accumulated loss and unabsorbed depreciation allowance in case of amalgamation.

9C. The conditions referred to in clause (iii) of sub-section (2) of section 72A shall be the following, namely:-

- (a) the amalgamated company, owning an industrial undertaking of the amalgamating company by way of amalgamation, shall achieve the level of production of at least fifty per cent. of the installed capacity of the said undertaking before the end of four years from the date of amalgamation and continue to maintain the said minimum level of production till the end of five years from the date of amalgamation:

Provided that the Central Government, on an application made by the amalgamated company, may relax the condition of achieving the level of production or the period during which the same is to be achieved or both in suitable cases having regard to the genuine efforts made by the amalgamated company to attain the prescribed level of production and the circumstances preventing such efforts from achieving the same;

(b) the amalgamated company shall furnish to the Assessing Officer a certificate in Form No.62, duly verified by an accountant, with reference to the books of accounts and other documents showing particulars of production, along with the return of income for the assessment year relevant to the previous year during which the prescribed level of production is achieved and for subsequent assessment years relevant to the previous years falling within five years from the date of amalgamation.

Explanation.- For the purposes of this rule,-

(a) 'installed capacity' means the capacity of production existing on the date of amalgamation; and

(b) "accountant" means the accountant as defined in the Explanation below sub-section (2) of section 288 of the Income-tax Act, 1961.

3. In Appendix II to the Income-tax Rules, 1962, after FORM No.61, the following FORM shall be inserted, namely:-

"FORM NO.62

[See rule 9C]

Certificate from the principal officer of the amalgamated company and duly verified by an accountant regarding achievement of the prescribed level of production and continuance of such level of production in subsequent years.

1. Particulars of the amalgamated company :

- (a) Name:
- (b) Address:
- (c) Permanent account number:
- (d) Nature and details of business:

2. Details of the amalgamating company (ies) :
(Please attach separate sheets, if necessary)

- (a) Name:
- (b) Address :
- (c) Permanent account number:
- (d) Nature and details of business:
- (f) Installed capacity of production on the date of amalgamation:

3. Date of amalgamation :

4. Date and period during which 50% of the installed capacity of production is achieved :

5. Whether the prescribed level of production has been maintained in subsequent years: (till the end of five years from the date of amalgamation)

(Signature with name of the principal officer of the Amalgamated Company)

Place.....

Date

Verification

I/We _____ have examined the books of accounts and other documents showing the particulars of production of the company/companies referred to in above items 1 and 2 for the relevant period.

2. I/We have obtained all the information and explanations which are to the best of my/our knowledge and belief necessary for the purposes of ascertaining the actual attainment/continuance of prescribed level of production.

3. I/We declare that the above particulars are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

(Signature with name of the ²Accountant)

Place:

Date:

NOTES:

1. Delete whichever is not applicable.
2. "Accountant" means the accountant as defined in the Explanation below sub-section (2) of section 288 of the Income-tax Act, 1961.
3. Please attach separate sheet, if necessary. "

F.No. 142/23/99-TPL



(D. Karunakara Rao)

Under Secretary to the Government of India

Notification No. 11169

Foot note: The principal rules were published vide notification number S.O.No.969(E) dated the 26.3.1962 and were last amended by the Income-tax (32nd Amendment) Rules, 1999, vide notification S.O.No.1151(E), dated the 19.11.1999.

(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 15.12.99 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, तारीख 15 दिसम्बर 1999

अधिसूचना

आयकर

का.आ. (अ) - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 72क की उपधारा (2) के खंड (iii) के साथ पठित धारा 296 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (उत्पाद संशोधन) नियम 1999 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 में नियम 9ख के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘समामेलन की दशा में संचित हानि का अग्रनयन या मुजरा करने और अनामेलित अवक्षयण मोक के लिए शर्तें।

9ग. धारा 72क की उपधारा (2) के खंड (iii) में निर्दिष्ट शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :-

(क) ऐसी समामेलित कंपनी, जो समामेलन के द्वारा किसी समामेलक कंपनी के औद्योगिक उपक्रम की स्वामी है, समामेलन की तारीख से चार वर्षों की समाप्ति से पूर्व उक्त उपक्रम की संस्थापित क्षमता का कम-से-कम पचास प्रतिशत का स्तर प्राप्त करेगी और समामेलन की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति तक उत्पादन के उक्त न्यूनतम स्तर को बनाए रखेगी ;

परन्तु यह कि केन्द्रीय सरकार समामेलित कंपनी द्वारा किए गए आवेदन पर उत्पादन के स्तर को प्राप्त करने की शर्त या उस अवधि को जिसके दौरान वह प्राप्त किया जाना है या उत्पादन के विहित स्तर को प्राप्त करने में कंपनी द्वारा वास्तविक प्रयासों और उसे प्राप्त करने के ऐसे प्रयासों को बाधित करने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त मामलों में दोनों को शिथिल कर सकेगी ;

(ख) समामेलित कंपनी उस पूर्व वर्ष जिसके दौरान उत्पादन का विहित स्तर प्राप्त किया जाता है की सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए और समामेलन की तारीख से पांच वर्ष के भीतर आने वाले पूर्व वर्षों की सुसंगत पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए आय की विवरणी के साथ लेखा बहियों और उत्पादन की विशिष्टियां दर्शानेवाले अन्य दस्तावेजों के प्रतिनिदेश से लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित प्ररूप सं. 62 में एक प्रमाण पत्र निर्धारण अधिकारी की भेजेगी ।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए -

(क) ‘संस्थापित क्षमता’ से समामेलन की तारीख को विद्यमान उत्पादन की क्षमता अभिप्रेत है ; और

(ख) ‘लेखापाल’ से ऐसा लेखापाल अभिप्रेत है जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित है ।

3. आयकर नियम, 1962 के परिशिष्ट 2 में प्ररूप सं. 61 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ प्ररूप सं. 62

[नियम 9ग देखिए]

उत्पादन के विहित स्तर की उपलब्धि और पश्चात्वर्ती वर्षों में उत्पादन के ऐसे स्तर के जारी रहने के बारे में समामेलित कंपनी के प्रधान अधिकारी द्वारा दिया गया और लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित प्रमाण पत्र ।

1. समामेलित कंपनी की विशिष्टियां :
 - (क) नाम:
 - (ख) पता:
 - (ग) स्थायी लेखा संख्या:
 - (घ) कारबार की प्रकृति और ब्यौरे:
2. समामेलित कंपनी (कंपनियों) के ब्यौरे :
(यदि आवश्यक हो, कृपया पृथक सीट संलग्न करें)
 - (क) नाम:
 - (ख) पता:
 - (ग) स्थायी लेखा संख्या:
 - (घ) कारबार की प्रकृति और ब्यौरे:
 - (ङ) समामेलन की तारीख को उत्पादन की संस्थापित क्षमता:
3. समामेलन की तारीख :
4. तारीख और अवधि जिसके दौरान उत्पादन की संस्थापित क्षमता का 50% प्राप्त किया जाता है।
5. क्या पश्चातवर्ती वर्षों में उत्पादन का विहित स्तर बनाए रखा गया है (समामेलन की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति तक)

(समामेलित कंपनी के प्रधान अधिकारी का नाम सहित हस्ताक्षर)

स्थान
तारीख

सत्यापन

- मैंने/हमने सुसंगत अवधि के लिए उपरोक्त मद 1 और मद 2 में निर्दिष्ट कंपनी/कंपनियों की लेखा बहियों और उत्पादन की विशिष्टियां दर्शाने वाले अन्य दस्तावेजों की जांच कर ली है।
2. मैंने/हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उत्पादन के विहित स्तर की वास्तविक प्राप्ति/ जारी रहने के अभिनिश्चयन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है।
3. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त विशिष्टियां मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और ठीक हैं।

स्थान
तारीख

(लेखापाल का नाम सहित हस्ताक्षर)

प्रबन्ध,

भारत सरकार मुद्रणालय
मायापुरी, बई दिल्ली

टिप्पण:

1. जो लागू न हो उसे काट दें ।
2. "लेखापाल" से ऐसा लेखापाल अभिप्रेत है जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित है ।
3. यदि आवश्यक हो, तो पृथक सीट संलग्न करें ।"

फा. सं. 142/23/99-टी.पी.एल
डी. करुणाकर राव
(डी. करुणाकर राव)
अवर सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना सं. 11169
पाद टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना सं. 36/1961 तारीख 26.3.62 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 11151 (अ) तारीख 19.11.99 द्वारा आयकर नियम (32वां) 1961 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।